

कार्यालय: सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल

उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र में संशोधन/द्वितीय प्रति हेतु निम्न प्रपत्र आवश्यक है-


1- अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/अर्हता कोड आदि संशोधन हेतु-

- 1- अभ्यर्थी द्वारा स्वलिखित आवेदन पत्र सचिव महोदय के पदनाम से।
- 2- हाईस्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- 3- 150.00रु0 का बैंक ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर के पदनाम से।
- 4- 10.00 रु0 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।

2- अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्र खोने की दशा में प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति हेतु-


- 1- अभ्यर्थी द्वारा स्वलिखित आवेदन पत्र सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर के पदनाम से
- 2- राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रमाण पत्र खोने का विज्ञापन मूल रूप में, जिसमें उत्तीर्ण वर्ष एवं अनुक्रमांक का उल्लेख हो।
- 3- 150.00 रु0 का बैंक ड्राफ्ट सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर के पदनाम से।
- 4- 10.00 रु0 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।

  
27/01/25

  
27.01.25

  
27/01/2025

  
उप सचिव  
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)

  
सचिव  
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्  
रामनगर (नैनीताल)